

दि. ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/
होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना
लगतच्या १ जानेवारी रोजीची काल्पनिक
वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन
निश्चित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: वेतन -२०२३ /प्र.क्र.१३ /सेवा- ३
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२५.

वाचा-

- १) शासन परिपत्रक क्रमांक:-वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३,
दि. २८.०६.२०२३.
- २) केंद्र शासनाचे दि.२०.०५.२०२५ रोजीचे कार्यालयीन झापन.

प्रस्तावना -

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने दि.३० जून रोजी सेवा निवृत्त झालेल्या/होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२८.०६.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९ हे दि.०१.०१.२०१६ पासून लागू करण्यात आले आहेत. सदर नियमातील नियम १० अन्वये दि.०१ जुलै अथवा दि.०१ जानेवारी असे वेतनवाढीचे दिनांक ठरविण्यात आले आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या दि.२०.०५.२०२५ रोजीच्या झापनाव्दारे दि.३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जानेवारी रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेय केली आहे. त्याच धर्तीवर दि.३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जानेवारी रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.२८.०६.२०२३ नुसार दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेय केली आहे. त्याच धर्तीवर दि.३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जानेवारी रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

त्यानुसार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.२८.०६.२०२३ मधील सूचना, दि.३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात येत आहेत. सर्व विभागांनी दि.३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत दि.२८.०६.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी.

दि.०१ जानेवारी रोजी वेतनवाढ देण्याची तरतूद सातव्या वेतन आयोगात दि.०१.०१.२०१६ पासून अंमलात आली असल्याने, सदर तरतूद केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दि.०१.०१.२०१६ पासून लागू राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१२१९१६३२३८३५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(मु. नि. धुरी)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ	निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/ऑरंगाबाद. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>सचिवालय, मुंबई सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य मंत्रालयीन सर्व विभाग सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव मंत्रालय, मुंबई सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्या खालील विभाग प्रमुख प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई आयुक्त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे सर्व विभागीय आयुक्त. सर्व जिल्हाधिकारी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई</p>	<p>विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०३२. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅर्क नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉइंट, मुंबई-२० भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पैलेस, वरळी, मुंबई-१३ इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई २१ शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई २८ वित्त विभागातील सर्व कार्यासने निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा),
महाराष्ट्र, नागपूर
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),
महाराष्ट्र, नागपूर
सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च
युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ
ब्लॉक, नवी दिल्ली,
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,
मुंबई,
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा
परीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक /
औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर.